भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3700
21 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र की क्षमता का उपयोग

3700. श्री सौमित्र खान:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के सभी भागों में सहकारी क्षेत्र की क्षमता के प्रभावी उपयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार की इस हेतु निकट भविष्य में कोई योजना तैयार करने की योजना है;

(ग) क्या सरकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कुछ राज्यों में कोई विशिष्ट योजना है, जिन्हें डेयरी, चीनी आदि जैसे विशेष क्षेत्रों में सहकारी पारिस्थितिकीय तंत्र को बढ़ावा देने के लिए बढ़त हासिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री

(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): देश में एक समृद्ध सहकारी विरासत और एक मजबूत सहकारी क्षेत्र है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पहले से ही बहुत योगदान दे रहा है और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ा रहा है। तथापि, नए आयाम देने और नीति तथा अन्य प्रयासों के माध्यम से, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में विभिन्न क्षेत्रों में

सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पृथक प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से, सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में गहरा करना और एक ऐसा सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल विकसित करना है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। मंत्रालय को भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार, दिनांक 6.7.2021 की राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित निम्नलिखित अधिदेश दिया गया है::

1. सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारिता गतिविधियों का समन्वय।
2. "सहकारिता से समृद्धि की ओर " परिकल्पना साकार करना।
3. देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाना।
4. देश के विकास के लिए अपने सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व की भावना सहित, सहकारिता-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना।
5. सहकारी समितियों को अपनी क्षमता का उपयोग कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण।
6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले।
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित, एक राज्य तक सीमित न रहने के उद्देश्य से, सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन।
9. सहकारिता विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों की शिक्षा सहित)

*****